

प्रेस नोट



(श्याम उर्फ श्यामू)



(राम उर्फ रामू)

श्रीमान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा थाना दियोरिया कला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/21 धारा 392 भादवि0 की घटना के अनावरण हेतु टीम गठन कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये थे, जिसके परिपेक्ष में आज दिनांक 08.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक दियोरिया कला के निर्देशन में उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री पवनवीर सिंह व हे0का0 334 ज्ञानचन्द्र, हे0का0 397 शाहिर हुसैन, का0 अंकुश चौधरी, कां0 गौरव कुमार सागर, का0 शुभम कुमार, का0 रूपचन्द्र के माल मुल्जिमान की तलाश में चेकिंग कर रहे थे कि बेनीपुर की तरफ से दो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल नं0 UP25AK0242 यामाहा के पकड़े गये जिनके कब्जे से 01अदद तमन्चा मय कारतूस 315 बोर, चाकू, 3 मोबाइल चोरी के व मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुयी है। जिनमें मु0अ0सं0 25/21 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना दियोरिया कला पर मुकदमें से सम्बंधित है, मोटरसाइकिल थाना बारादरी व 02 मोबाइल थाना बिलसण्डा के मुकदमें से सम्बंधित है। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो मिलकर संगठित गिरोह बनाकर चोरी लूटपाट की घटनाओं को जनपद व गैर जनपद में अन्जाम देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/अपराधिक इतिहास:-

- 1.राम उर्फ रामू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पिपरिया संजरपुर थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत।
- 2.श्याम उर्फ श्यामू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पिपरिया संजरपुर थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत।
मु0अ0सं0 25/21 धारा 379/411/413 भादवि0 बनाम राम उर्फ रामू, श्याम उर्फ श्यामू थाना दियोरिया कलां
मु0अ0सं0 26/21 धारा 3/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राम उर्फ रामू थाना दियोरिया कलां, पीलीभीत।
मु0अ0सं0 27/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम श्याम उर्फ श्यामू थाना दियोरिया कलां, पीलीभीत।
मु0अ0सं0 151/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 398/401 भादवि0 बनाम राम उर्फ रामू, थाना दियोरिया कलां।
मु0अ0सं0 153/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम राम उर्फ रामू थाना दियोरिया कलां, पीलीभीत
मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411/413 भादवि0 बनाम राम उर्फ रामू, श्याम उर्फ श्यामू थाना बारादरी,बरेली।
मु0अ0सं0 38/21 धारा 379/411/413 भादवि0 बनाम राम उर्फ रामू, श्याम उर्फ श्यामू थाना बिलसण्डा, पीलीभीत।